न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर
पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	तारीख दायर	तारीख निर्णय
1/72/2018	31.08.2018	01.07.2022

बउनवान

1. सरकार जरिये तहसीलदार अलवर

वादी

बनाम

1. बद्रीप्रसाद पुत्र बालजी जाति राजपुत निवासी चेला पाडी अलवर

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 177
राज.काश्कारी अधिनियम 1955

निर्णय

वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 452/1 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम मदनपुरी तहसील अलवर वादी की खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। उक्त भुमि पर संबंधित खातेदार ने बगैर सक्षम स्वीकृति के कृषि से भिन्न कार्य कर लिये जाने एवं हानिप्रद कार्य करने से शर्त भंग मौके पर कृषि कार्य न कर आवासीय प्लाटिंग निर्माण कर संचालन कर लिया है। जो नियम के विरूद्ध है। उक्त खातेदार का यह कृत्य राज.काश्कारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत आता है। जिससे उक्त खातेदार उक्त वर्णित भुमि से बेदखली का दायी है।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी (खातेदार) को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी खातेदार ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 452/1 रकबा 0.24 है0 ग्राम मदनपुरी, तहसील अलवर में स्थित है, जो मिन प्रतिवादी की खातेदारी की आराजी है। राजस्व अभिलेख में विवादित आराजी की बाबत मिन प्रतिवादी की नाम बतौर खातेदार के दर्ज है। मिन प्रतिवादी ने अपनी खातेदारी की आराजी में बिना किसी सक्षम स्वीकृति से कृषि कार्य से भिन्न कोई कार्य करते हुए आवासीय प्लोटिंग की हों। मिन प्रतिवादी ने किसी भी प्रकार से विवादित आराजी को कृषि भूमि से भिन्न अकृषि कार्य में नही लिया है और ना ही मिन प्रतिवादी ने कोई आवासीय भूखण्ड विवादित आराजी में बनाये है जिस रिपोर्ट पटवारी के आधार पर मिन प्रतिवादी के खिलाफ उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है वह कतई गलत, खिलाफ कानून व खिलाफ मौका व कब्जा है। जो रिपोर्ट मिन प्रतिवादी के खिलाफ बाला बाला इकतरफा में तैयार की गई है, जिस पर ना तो किसी ग्राम वासीयान के हस्ताक्षर है और ना ही किसी मौजिम व्यक्ति के हस्ताक्षर है। कथित रिपोर्ट खिलाफ मौका व कब्जा होने के कारण उक्त रिपोर्ट

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

के आधार पर जो वाद प्रस्तुत किया गया है वह गलत है और मौजूदा वाद खारिज फरमाये जाने योग्य है। मौजूदा वाद जिस कथित रिपोर्ट पटवारी के आधार पर दायर किया गया है, वह रिपोर्ट कतई गलत, खिलाफ कानून, खिलाफ मौका व कब्जा व विना अधिकार तैयार की गई है, उक्त रिपोर्ट मिन प्रतिवादी के खिलाफ इकतरफा में तैयार की गई है, जिस पर ना तो किसी ग्राम वासीयान तैयार की गई है, जिस पर ना तो किसी ग्राम वासीयान के हस्ताक्षर है और ना ही किसी मौजीज व्यक्ति के हस्ताक्षर बतौर गवाही के है। इस प्रकार उक्त रिपोर्ट के आधार पर जो वाद प्रस्तुत किया गया है, वह मौके व कब्जे के विपरीत व बिना अधिकार प्रस्तुत किया गया है। मौका रिपोर्ट जो पटवारी द्वारा तैयार की गई है व सक्षम अधिकारी नही है और ना ही किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा उक्त रिपोर्ट तैयार की गई है। विवादित आराजी लगातार कृषि कार्य में आ रही है एवं विवादित आराजी में कृषि कार्य से भिन्न कोई अकृषि कार्य अथवा आवासीय कार्य नही किया गया है, और ना किया जा रहा है मौजूदा वाद गलत तथ्यों के आधार पर आधारित होने के कारण खारिज फरमाये जाने योग्य है। वकील प्रतिवादी ने अपने जवाव की ताईद में एक शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत आराजी पर किसी प्रकार के कोई मकानात या प्लाटिंग नही है। समस्त आराजी पर कृषि कार्य हो रहा है। न्यायालय द्वारा विवादित आराजी की वर्तमान मौके की रिपोर्ट के लियें मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया। मौका कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 25.06.2022 में अंकित किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 452/1 में मौके पर कृषि कार्य हो रहा है। मौके पर 3–4 इंच फसल खरीफ की उगी हुई है। मौके पर उक्त आराजी पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही होना अंकित किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। मुताबिक रिपोर्ट मौका कमिश्नर विवादित आराजी खसरा नम्बर 452/2 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम मदनपुरी पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही होना एवं मौके पर प्रश्नगत आराजी पर फसल होना एवं प्रतिवादी द्वारा इस बाबत् शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ है कि मौके पर विवादित आराजी में फसल का कार्य किया जा रहा है। मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही होने की स्थिति में वाद खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी सिद्ध नही होने पर खारिज किया जाता है।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दिनांक 01.07.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

संशोधन दिनांक → निर्णय के अन्तिम पैरा मे खसरा नम्बर 452/2 के स्थान पर 452/1 रकबा 0.24 है. वाके ग्राम मदनपुरी पढ़ा जावे।
5/7/2022

उपखण्ड अधिकारी
अलवर